



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19766

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या - 1146, वर्ष 2026

नीरज मयंक श्रीवास्तव.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:शक्ति शंकर तिवारी, सुभाष चंद्र तिवारी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0सी0 तिवारी और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसके पिता, जो 'अमीन' के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 10.03.1971 को सेवानिवृत्त हुए थे और दिनांक 05.02.1989 को उनका निधन हो गया था; रिट याचिकाकर्ता की माता का निधन भी दिनांक 30.03.2024 को हो गया। इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाकर्ता 60% दिव्यांग है। वह पारिवारिक पेंशन की मांग कर रहा है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रतिवादी, यानी कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इन दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी, यानी कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, बांदा के समक्ष दिनांक 12.01.2026 तक प्रस्तुत करें। तत्पश्चात्, तीसरा प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”